

## दो दिनों में 235 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा कचरा संग्रहण वाहनों ने 2 दिनों में लगाई 331 ट्रीप

रतलाम 23 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले—सूखे कचरे व सड़कों व नाले—नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 22 व 23 मार्च को 235 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया ।

22 व 23 मार्च को डम्पर से 69610 किलो, ट्रेक्टर से 32790 किलो, मैजिक सूखा कचरा 79815 किलो, मैजिक गीला कचरा 53175 किलो, सेनेटरी वेस्ट 11.4 किलो व घरेलू हानिकारक कचरा 11 किलो इस तरह कुल 235390 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया ।

## नगर निगम के विभिन्न करों से 14.60 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 23 मार्च । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 23 मार्च बुधवार को कुल राशि रूपये 14,60,117/- का राजस्व प्राप्त हुआ ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 23 मार्च बुधवार को संपत्तिकर कार्यालय से 621593, वसूली दल 313526 कुल 935119, जलकर कार्यालय से 181115, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 8627 व वसूली दल 264319 कुल 272946 लीजरेंट 68937, स्पॉट फाईन 2000 इस तरह कुल राशि रूपये 14,60,117/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ ।

## 4 से कम ट्रीप लगाने वाले 3 झायवर व 4 हैल्परों का वेतन काटा सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना—पत्र जारी

रतलाम 23 मार्च । कचरा संग्रहण वाहनों से 23 मार्च मंगलवार को वार्डों में 5—5 टोप लगाये जाने के निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के बाद भी कचरा संग्रहण वाहनों के 3 झायवर व 4 हैल्परों द्वारा निर्देशानुसार कार्य नहीं किये जाने पर आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने के कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया ।

आदेश की अवहेलना करने पर कचरा संग्रहण वाहन के झायवर वनपाल सिंह, चत्तर सिंह व पृथ्वीराज, हैल्पर लखन—सुभाष, अभिषेक—विनोद, कमल—सुल्तान व हिम्मत—किशोर का आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया ।

## 14 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

**दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बख्तास्त**

रतलाम 23 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 13 व दोपहर की शिफ्ट में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बख्तास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

23 मार्च बुधवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में शांतिलाल—नाथुलाल, अशोक—अर्जून, शांति पति सुरेश, श्यामलाल—रामलाल, विमला पति रघुवीर, बादल—दिलीप, अजय—विनोद, सचिन—रामसेवक, उमेश—प्रहलाद, लीला पति फुलचन्द, झोन क्रमांक 2 में राकेश—रामप्रसाद, कमल—सुल्तान, लताबाई पति संजय व दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में आनन्द—भागीरथ, प्रवीण—शिवलाल, रमेश—बाबुलाल, झोन क्रमांक 3 में मनीष—मुकेश इस तरह 14 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बख्तास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हे सेवा से बख्तास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

## **गदंगी, अमानक पॉलीथीन व खुले में यूरिन उपयोग तथा विक्रय करने पर 6 व्यक्तियों पर जुर्माना**

रतलाम 23 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 23 मार्च बुधवार को 6 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार तय मानक से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करने पर डी मार्ट पर 3000, राठौर रेस्टोरेंट, भगवती रेस्टोरेंट पर 250—250, किशोर पर 200, खुले में कचरा डालने पर हाजी बाबु खां मंसूरी पर 250, खुले में यूरिन करने पर दीपक पर 200 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग व विक्रय ना करने तथा खुले में यूरिन ना करने की समझाई दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

## **स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी**

### **1434 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा**

रतलाम 23 मार्च । नगर को साफ—स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 1434 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया ।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 23 मार्च तक 1434 मवेशियों को पकड़ा जाकर गौशालाओं में भेजा गया । अभियान के तहत 22 व मार्च को अलकापुरी, बाजना बस स्टैण्ड, कस्तुरबा नगर, धानमण्डी से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये ।

नगर निगम एकट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है । निगम एकट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा ।

## **शहर के 2821 श्वानों का बधियाकरण**

रतलाम 23 मार्च । शहर में आवारा श्वानों के बधियाकरण हेतु जुलवानिया में निर्मित किये गये बधियाकरण केन्द्र 22 दिसम्बर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों से नियमानुसार पकड़ा जाकर बधियाकरण केन्द्र लाया जाकर उनका बधियाकरण किया गया जिसके तहत 23 मार्च तक 2821 श्वानों का सफल बधियाकरण किया जा चुका है ।

## **श्रीजी डिस्पोजल से 15 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त 100 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित**

रतलाम 23 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टीक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टीक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कहर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है । 23 मार्च

बुधवार को की गई कार्यवाही के तहत श्रीजी डिस्पोजल नाहरपुरा से 15 किलो अमानक पॉलीथीन को जब्त किया गया।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

## **नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विधंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विधंस सामग्री केन्द्र नागरिक मोबाइल नम्बर 7471144078 पर करें संपर्क**

रतलाम 23 मार्च। निर्माण एवं विधंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विधंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाइल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विधंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाइल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

## **श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही**

रतलाम 23 मार्च। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भाँति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

### **3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 23 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।

### **अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल**

रतलाम 23 मार्च । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर

तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

## नागरिक व दुकानदार कौविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 23 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कौविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों वें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

**गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 23 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

**वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 23 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/23.03.2022/न.पा.निगम, रतलाम.